

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक:- प. 6(26) प्र.सु./अनु-3/2009

जयपुर, दिनांक 24.10.2011

आज्ञा

राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से आज्ञा दिनांक 03.07.2009 द्वारा माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में स्टेट रोडसेफ्टी कौंसिल का गठन किया गया था। इसकी मीटिंग हर दो माह में एक बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। "स्टेट रोडसेफ्टी कौंसिल" की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कौंसिल के निर्णयों का फॉलोअप, समीक्षा एवं अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा "रोडसेफ्टी स्टेयरिंग कमेटी" का गठन किये जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है-

1. प्रमुख शासन सचिव, परिवहन	अध्यक्ष
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
3. उपायुक्त, पुलिस (यातायात), जयपुर	सदस्य
4. मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग।	सदस्य
5. कार्यकारी निदेशक (परिवहन) राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य
6. महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई	सदस्य
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
8. अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)	सदस्य
9. उप परिवहन आयुक्त (नियम)	सदस्य
10. उप परिवहन आयुक्त (यो.वि.)	सदस्य सचिव
11. एक प्रतिनिधि स्वयं सेवी संस्था	सदस्य

इस समिति की मीटिंग हर माह आयोजित की जावेगी जिसमें स्टेट रोडसेफ्टी कौंसिल की बैठक हेतु एजेण्डा का निर्धारण किया जावेगा। मीटिंग में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति हेतु फॉलोअप, समीक्षा एवं संबंधित विभागों/संस्थाओं से अनुपालना कराई जावेगी।

स्वयंसेवी संस्था के एक प्रतिनिधि का मनोनयन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जावेगा। समिति का प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

आज्ञा से,

2

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
7. उपायुक्त, पुलिस (यातायात) जयपुर।
8. मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण, विभाग।
9. कार्यकारी निदेशक (परिवहन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
10. महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई., जयपुर।
11. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण।
12. अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)
13. उप परिवहन आयुक्त (यो.वि./नियम)
14. शासन उप सचिव (मु.) परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित हैं।
15. रक्षित पत्रावली।

अनुभाषाधिकारी